भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपधारा (i) में प्रकाशनार्थः

भारत सरकार

वित मत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 76/ 2020-सीमा शुल्क (मै.टे.)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

26 श्रावण, 1942 (शक)

सा.का.वि...... (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के साथ पठिन्द्र धारा 157, 143एफ के कहां प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद दुबारा, विनिर्माण और अन्य कार्यों में संशोधन करने के लिए, वेयरहाउस (सं.2), विनियमन 2019 में निम्नलिखित विनियम बनाता है,यथा : -

1. लघु शर्य व टिप्पणी: (1) ये विनियम वेयरहाउस (सं. 2), में विनिर्माण और अन्य कार्य, संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. वेयरहाउस (सं. 2), में विनिर्माण और अन्य कार्य, संशोधन विनियम, 2019 में, विनियमन 3 को निम्नलिखित विनियमन से प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

"3 प्राधिकार.- ये विनियमन निम्न पर लागू होंगे -

"अधिनियम की धारा 58 के तहत किसी लाइसेंसधारी वेयरहाउस में -

(i) अधिनियम की धारा 65 के तहत कार्य करने वाली इकाइयों, या

(ii) अधिनियम की धारा 65 के तहत कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों । "

[फा.सं. 473/03/2020-सीमा शुल्क]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्राधिकार अधिसूचना सं.- 69/2019-सीमा शुल्क (मै.टे.) दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को भारत के राजपत्र असाधारण में, सा.का.वि. 754 (अ), 01 अक्टूबर, 2019 के तहत प्रकाशित की गई थी।